डीएमए स्टेट टीम के पदाधिकारियों के साथ सहायक निदेशक श्री शैलश प्रियदर्शी ने लातेहार नगर पंचायत का किया क्षेत्र भ्रमण

पीएम आवास के लाभुकों को 31 दिसंबर तक लंबित आवास पूर्ण करने का निर्देश

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

लातेहार. नगरीय प्रशासन निदेशालय, रांची के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होने लाभुकों को शीघ्र अपना आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया.

लाभुक लंबित आवास को 31 तक पूर्ण करें, नहीं तो कार्रवाई : शैलेश

भास्कर न्यूज़ | लातेहार

नगरीय प्रशासन निदेशालय,रांची के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा मंगलवार को नगर पंचायत, लातेहार निकाय के द्वारा वार्ड सं. एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात व 10 में क्षेत्र भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का हाल जाना। इसके बाद लाभुकों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वैसे स्वीकृत लाभुक जिसका आवास निर्माण हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि लाभुक को दी जा चुकी है। परंतु उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। वैसे लगभग चालीस लाभुकों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली गई। जिसमें ज्यादातर लाभुकों के पास कार्य शुरू नहीं करने की कोई ठोस कारण नहीं बताया। जिस पर सहायक निदेशक ने सभी लाभुकों को 31 दिसंबर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक पूर्ण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विशेषज्ञों को भी निर्देश दिया कि प्रत्येक लाभुकों के कार्य प्रतिवेदन निदेशालय को भेजें। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के साथ लंबित आवाज को पूर्ण करने पर विचार विमर्श किया गया। नये डीपीआर अंतर्गत स्वीकृति लाभुकों को आवास का कार्य शुरू करने की बात कही। मौके पर सहयोगी राज्य विशेषज्ञ राजन कुमार,मितु भारती समेत नगर कार्यालय के कर्मी मौजूद थे।

31 दिसंबर तक पूरा करें पीएम आवास : प्रियदर्शी

आवास योजना का निरीक्षण करते सहायक निदेशक व अन्य.

लातेहार. नगरीय प्रशासन निदेशालय रांची के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लाभुकों को शीघ्र अपना आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया. श्री प्रियदर्शी ने नगर पंचायत कार्यालय में बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना (शहरी) की समीक्षा की. उन्होंने बैठक में वित्तीय वर्ष 2015 से 2018 तक के वैसे स्वीकृत 40 लाभुक, जिन्हें आवास निर्माण हेतु तीनों किस्त की राशि दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, उनसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली. समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश लाभुकों के पास आवास निर्माण योजना पूरा नहीं करने का कोई ठोस कारण नहीं था. सहायक निदेशक श्री प्रियदर्शी ने इन सभी लाभुकों को 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित तिथि तक आवास निर्माण पूरा नहीं होने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में उन्होंने प्रत्येक लाभुकों का कार्य प्रतिवेदन निदेशालय को भेजने का निर्देश नगर पंचायत के संबंधित पदाधिकारियों को दिया. श्री प्रियदर्शी ने अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श कर नये डीपीआर के तहत आवास निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया. प्रतिनिधिमंडल में सहायक निदेशक श्री प्रियदर्शी के अलावा सहयोगी राज्य विशेषज्ञ रजन कुमार व मीतू भारती शामिल थी.

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA